सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 24/2006 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO- 2006/00002

अनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)।

– प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री जहिर खां पिता हमीद खां मुसलमान, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर।

– विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री सत्यप्रकाश व्यास, अधिवक्ता विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 28-12-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि विपक्षी/रेस्पोडेन्ट श्री जहिर खां पिता हमीद खां मुसलमान, निवासी सलुम्बर द्वारा सन् 1989 मे कृषि प्रयोजनार्थ ग्राम राती मगरी, सलुम्बर के आराजी संख्या 220, 225 एवं 314 मे साढे तीन बीघा भूमि आवंटन बाबत् आवेदन किया। आवंटन सलाहकार समिति, तहसील सलुम्बर द्वारा दिनांक 22.06.1989 को ग्राम सुरो का कुड़ा, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 220, 225 एवं 314 मे साढे तीन बीघा भूमि का आवंटन किया गया। पटवारी सलुम्बर द्वारा दिनांक 06.09.1989 को भूमि विपक्षी श्री जहिर खां पिता हमीद खां मुसलमान को सुपुर्द की गई। विपक्षी द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र मे ग्राम रातीमगरी, सलुम्बर का अंकन किया गया, किन्तु तत्कालीन जमाबंदी संवत् 2039–2042 के अवलोकन अनुसार आवंटित आराजी संख्या ग्राम सुरों का कुड़ा का न होकर ग्राम सलुम्बर का ही हैं। इस कारण सुपर्दगी पर्चा मे पटवारी द्वारा ग्राम सलुम्बर, तहसील सलुम्बर की आराजी होने का अंकन किया गया। आराजी संख्या 220, 225 एवं 314 की भूमि सुरो का कुड़ा मे स्थित न होकर ग्राम सलुम्बर मे स्थित हैं, जिसके पुराने नम्बर 26 से 206 तक अंकन हैं। वर्तमान मे ग्राम सलुम्बर के पूर्व आराजी संख्या 220, 225 एवं 314 के बजाय सेटलमेंट के नये आराजी नम्बर 200, 201, 202, 1670/200 व 1673/200 बने हैं। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार रेस्पोडेन्ट श्री जहिर खां पिता हमीद खां मुसलमान के नाम पर मौजा सलुम्बर मे आराजी संख्या 1670/200 रकबा 0.38हे. भूमि गैर खातेदार के रूप मे दर्ज की गई हैं। मौजा सलुम्बर, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 1670/200 का मौका अवलोकन से

ज्ञात होता है कि विपक्षी को आवंटित आराजी की भूमि पर आवंटी द्वारा थूर की बाड़ लगाकर कब्जा कर रखा है, परन्तु भूमि मौके पर पड़त होकर काश्त नहीं की जा रही है एवं आवंटी श्री जहिर खां पिता हमीद खां मुसलमान द्वारा भूमि को आबाद कर कृषि योग्य नहीं बनाया हैं। अतः विपक्षी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त कराया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी/रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकरण मे जवाब पेश कर निवेदन किया कि आवेदक/रेस्पोडेन्ट ने ग्राम सलुम्बर, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 220, 225 एवं 314 मे से रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन के लिये प्रार्थना पत्र दिया। यह गलत है कि आवंटन सलाहकार समिति, सलुम्बर द्वारा ग्राम सुरो का कुड़ा की आराजी संख्या 220, 225 एवं 314 मे रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। वास्तविकता यह है कि विपक्षी को ग्राम सलुम्बर, तहसील सलुम्बर की उपरोक्त आराजी का आवंटन किया गया है एवं आवंटित भूमि का ही कब्जा विपक्षी श्री जहिर खां पिता हमीद खां मुसलमान को सुपुर्द किया गया हैं। ग्राम सुरो का कुड़ा एवं रातीमगरी की किसी भूमि से विपक्षी श्री जहिर खां पिता हमीद खां मुसलमान का कोई संबंध नहीं हैं, बल्कि उसका संबंध ग्राम सलुम्बर, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 220, 225 एवं 314 कुल रकबा 252 बीघा 17 बिस्वा से हैं, जिसमे समय समय पर लगभग 75 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया हैं एवं उसी खसरा का विपक्षी को भी आवंटन किया गया हैं। आराजी संख्या 220, 225 एवं 314 तीन अलग अलग आराजीयात न होकर एक ही आराजी हो सलुम्बर मे स्थित हैं। आवंटन पत्रावली के प्रपत्रों मे आवंटन के बाद जालसाजी या मिलीभगत से ग्राम सलुम्बर के बजाय ग्राम रातीमगरी या सुरो का कुड़ा का उल्लेख आ गया हो तो इससे विपक्षी के पक्ष मे किये गये आवंटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आराजी संख्या 1673/200 श्री अजीज खां पिता गफुर खां मुसलमान, निवासी सलुम्बर को आवंटित की गई थी, जिसका दाखिला जमाबंदी संवत् 2039–2042 मे आवंटियों की तालिका में क्रम संख्या 67 पर दर्ज हैं। इसी तालिका मे विपक्षी का नाम क्रम संख्या 65 पर दर्ज हैं। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी को ग्राम सलुम्बर की ही भूमि का आवंटन किया गया हैं। 70–75 आवंटियों मे से मात्र विपक्षी को प्रार्थी ने अपना निशाना बनाया है, जबकि विपक्षी ने न केवल बाद आवंटन भूमि पर कब्जा कर इसका विकास किया है, बल्कि वह इस भूमि पर काश्त भी कर रहा हैं, जिसमे केवल चौमासे की एक फसल पैदा होती हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें एवं विद्वान आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी श्री जहिर खां पिता हमीद खां मुसलमान के पक्ष मे पारित आवंटन आदेश यथावत रखा जावें। प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से आवंटन पत्रावली मंगवाई जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तारीख नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए, बहस प्रारंभ करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर के प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. आर.आर.टी. 2007 (2) पृष्ठ संख्या 1430
2. आर.आर.टी. 2007(1) पृष्ठ संख्याा 18
3. आर.आर.टी. 2011(2) पृष्ठ संख्या 1144

हमने प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर के अपील प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेन्ट के जवाब एवं न्यायिक दृष्टान्त, उपखंड अधिकारी सलुम्बर से प्राप्त आवंटन पत्रावली, पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यो पर गंभीरता से अध्ययन किया।

प्रकरण मे विवाद विपक्षी/रेस्पोडेन्ट श्री जहिर खां पुत्र हमीद खां मुसलमान को आवंटित भूमि मे से हाल आराजी संख्या 1670/200 रकबा 0.38हे. भूमि पर हैं, जिसमे अपीलान्ट तहसीलदार सलुम्बर का कथन है कि विपक्षी श्री जहिर खां पिता हमीद खां मुसलमान को आवंटित आराजीयात मे से हाल आराजी संख्या 1670/200 रकबा 0.38हे. भूमि विपक्षी आवंटी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हो, मौके पर आवंटी द्वारा थूर की बाड़ लगा कर कब्जा कर रखा है, किन्तु मौके पर भूमि पड़त हो काश्त नहीं की जा रही हैं। आवंटी द्वारा भूमि को आबाद कर कृषि योग्य नहीं बनाया हैं। अतः विपक्षी को आवंटित भूमि से हाल आराजी संख्या 1670/200 रकबा 0.38हे. भूमि पर आवंटन खारिज किया जावें। उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर से प्राप्त आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी/रेस्पोडेन्ट श्री जहिर खां पुत्र हमीद खां मुसलमान द्वारा मौजा रातीमगरी, सलुम्बर की आराजी संख्या 220, 225 एवं 314 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया। पटवारी की रिपोर्ट के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति, तहसील सलुम्बर द्वारा रेस्पोडेन्ट श्री जहिर खां पिता हमीद खां मुसलमान को मौजा सुरो का कुड़ा की आराजी संख्या 220, 225 एवं 314 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन की सिफारिश की गई। आवंटन कमेटी के कोरम मे तहसीलदार, प्रधान, वार्डपंच के हस्ताक्षर मौजुद हैं एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं। उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर द्वारा जरिये आवंटन क्रमांक 498/89 दिनांक 22.06.1989 द्वारा रेस्पोडेन्ट को मौजा सलुम्बर, तहसील सलुम्बर मे उक्त वर्णित आराजीयात का आवंटन किया गया। आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट मे भी रेस्पोडेन्ट को मौजा सलुम्बर की आराजी संख्या 220, 225 एवं 314 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा सुपुर्द करना जाहिर आया हैं। अपीलान्ट तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि उक्त वर्णित आराजीयात 220, 225 एवं 314 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि मौजा सलुम्बर, तहसील सलुम्बर की ही होना उनके द्वारा स्वीकार किया हैं। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट श्री जहिर खां पिता हमीद खां मुसलमान द्वारा किसी मिसप्रजेन्टेशन, कूट रचना से या फ्रॉड़ तरीके से उक्त वर्णित भूमि आवंटन कराया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलबध नहीं है। उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर द्वारा आवंटित भूमि मौजा सलुम्बर की ही है एवं उसी भूमि पर रेस्पोडेन्ट को श्री जहिर खां पिता हमीद खां मुसलमान कब्जा सुपुर्द किया गया है।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2052–2055, 2056–2059, 2060–2063, 2064–2067 एवं 2068 अनुसार आवंटी द्वारा आराजी संख्या 1670/200 पर मक्की, उड़द, ग्वार आदि फसलें काश्त करना जाहिर आया हैं, जिससे यह स्पष्ट

है कि मौके पर विपक्षी आवंटी श्री जहिर खां पिता हमीद खां मुसलमान ही काबिज हो सद्भावी कृषक के रूप मे काश्त कर रहा हैं। इसके अतिरिक्त वक्त आवंटन आवंटन कमेटी के कोरम पर प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर के स्वयं के हस्ताक्षर सहमति स्वरूप मौजुद है। विपक्षी श्री जहिर खां पिता हमीद खां मुसलमान को किये गये आवंटन को लगभग 28 वर्ष हो चुके है तथा अपीलान्ट तहसीलदार सलुम्बर द्वारा उक्त आवंटन निरस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र विपक्षी को किये गये आवंटन के लगभग 17 वर्ष पश्चात् पेश किया हैं। आवंटन के इतने लम्बे समय पश्चात् किसी भी सद्भावी काश्तकार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना हम विधिसम्मत नहीं समझते हैं।

अतः प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अंतर्गत धारा 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा विपक्षी श्री जहिर खां पिता हमीद खां मुसलमान को मौजा सलुम्बर, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 220, 225 एवं 314 मे किये गये आवंटन मे से विवादित हाल आराजी संख्या 1670/200 रकबा 0.38हे. भूमि पर आवंटन यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर